राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ7 (2)( )राछा/प्रवेश पोर्टल/सान्याअवि/21/5723 जयपुर, दिनांक 05-03-21.

आदेश

गृह (ग्रुप-9) विभाग के आदेश क्रमांक प.33 (2)गृह-9/2019 दिनांक 06.01.2021 द्वारा शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रारम्भ करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वी से 12वी एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में आवासरत/अध्ययनतरत विद्यार्थियों हेतु दिनांक 18.01.2021 से तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रावासों का संचालन दिनांक 13.02.2021 से प्रारम्भ किये जाने के संबंध मे आदेश जारी किये जा चुके है। छात्रावास प्रवेश पोर्टल पर आ रही विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण ऐसे विद्यार्थी पूर्व मे ही विभागीय छात्रावासों मे आवासरत थे उन्हे नवीनीकरण किये जाने पर अंकतालिका/दस्तावेज अपलोड करने/शॉर्टलिस्टेड करने/ऑबजेक्शन की पूर्ति का विकल्प नही मिलने के कारण/ज्वाईन करने जेसे आप्शन पोर्टल पर कार्य नही करने के कारण एव नवीन विद्यार्थियो को ऑनलाईन प्रवेश नही दिया सका है।

अतः सभी विभागीय जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये है एवं संबंधित छात्रावास अधीक्षको द्वारा पोर्टल पर उन्हे शॉर्टलिस्टेड कर दिया गया है, किन्तु ज्वाईन करवाने की कार्यवाही पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण नही की गई है ऐसे विद्यार्थीयों को छात्रावासों मे ऑफलाईन प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगें तथा पोर्टल सुचारू रूप से संचालित होने के उपरान्त इन ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों को ऑनलाईन ज्वाईन करवाये जाने की कार्यवाही करेगें एवं ऐसे विद्यार्थियो का रिकॉर्ड रजिस्टर मे संधारण करेगें।

Programmer (P) 9/3/21

5/3/21

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ7 (2)( )राछा/प्रवेश पोर्टल/सान्याअवि/21/5724-35 जयपुर, दिनांक 05-03-21.

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर (समस्त) ....।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
6. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण) मुख्यावास।
7. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को विभागीय वैब साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....।
10. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास।
11. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
12. आदेश पत्रावली।

05/03/2021

(अनुपम कायल)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)

C:\Users\HP\Downloads\Letter (1).docx 289